भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4232
उत्तर देने की तारीख : 19.03.2020

छात्रवृत्ति योजनाएं

4232. श्रीमती मीनाक्षी लेखीः
श्री धर्मेन्द्र कश्यपः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर, साधन सह–योग्यता के सम्बन्ध में इनके प्रारंभ से लेकर अब तक कितने छात्रों ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया है;

(ख) इन योजनाओं पर आवंटित और खर्च की गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के तहत ज्ञान प्रसार और छात्रों के कवरेज के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रारंभ के बाद से इन योजनाओं के विज्ञापन पर कितनी निधियां व्यय की गई हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन इनकी शुरूआत से अब तक जिन छात्रों ने छात्रवृत्तियां प्राप्त की हैं, उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या दर्शाते हुए एक तालिका संलग्न है।

(ख): इन तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं की शुरूआत से इनके संबंध में 18065 करोड़ रु0 का कुल बजट आबंटित किया गया और 15858 करोड़ रु0 (अनंतिम आंकड़े) का व्यय किया गया।

(ग) और (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ''विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन तथा प्रचार'' की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अधीन अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं के लिए जागरूकता एवं प्रचार अभियान चलाता है। इन योजनाओं के बारे में जागरूकता और प्रचार मल्टीमीडिया अभियानों अर्थात् प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ–साथ रेडियो चैनलों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं का ब्यौरा देने वाली पुस्तिकाएं और पेम्फलेट वितरित किए जाते हैं और देशभर में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ–साथ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में अग्रणी समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

विकास योजनाओं/कार्यक्रमों का अनुसंधान/अध्ययन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन तथा प्रचार शीर्ष के अधीन 2014–15 से इस मंत्रालय की योजनाओं के विज्ञापनों पर खर्च की गई निधि 250.96 करोड़ रु0 (अनंतिम आंकड़े) है।

*****

'छात्रवृत्ति योजनाएं' के बारे में श्रीमती मीनाक्षी लेखी और श्री धर्मेन्द्र कश्यप द्वारा पूछे गए एवं 19.03.2020 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4232 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

योजनाओं की शुरूआत से मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन प्रदत्त/स्वीकृत छात्रवृत्तियों का राज्य–वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदत्त/स्वीकृत छात्रवृत्तियां
1	आंध्र प्रदेश	22,15,731
2	तेलंगाना	11,44,120
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	17,86,773
5	बिहार	20,49,135
6	छत्तीसगढ़	1,50,574
7	गोवा	20,093
8	गुजरात	16,89,950
9	हरियाणा	1,72,628
10	हिमाचल प्रदेश	33,617
11	जम्मू और कश्मीर	21,60,146
12	झारखंड	5,78,505
13	कर्नाटक	48,81,771
14	केरल	77,57,440
15	मध्य प्रदेश	12,22,852
16	महाराष्ट्र	73,13,452
17	मणिपुर	2,00,616
18	मेघालय	1,82,294
19	मिजोरम	5,65,681
20	नागालैंड	2,84,620
21	ओडिशा	2,60,448
22	पंजाब	45,23,757
23	राजस्थान	20,68,938
24	सिक्किम	28,056
25	तमिलनाडु	41,79,195
26	त्रिपुरा	52,656
27	उत्तर प्रदेश	92,50,813
28	उत्तराखंड	1,86,993
29	पश्चिम बंगाल	1,23,59,555
30	अंडमान और निकोबार	2,297
31	चंडीगढ़	27,497
32	दादरा और नगर हवेली	1,661
33	दमन और दीव	2,515
34	दिल्ली	1,81,508
35	लक्षद्वीप	31
36	पुडुचेरी	20,832
कुल		**6,75,56,751**

* 06.03.2020 के अनुसार अनंतिम आंकड़े। 2018–19 और 2019–20 के लिए छात्रवृत्ति का संवितरण 2019–20 में जारी है।

*****